न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 73/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मु0 बुद्धी उर्फ बुद्धोडी पत्नि मंग माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:——— अपीलांट

बनाम

1. रोहिताश्व पुत्र मंगल जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:——— असल रेस्पो0

2. फूलचन्द पुत्र भगतावर नवासा घीसा माली निवासी कोठपूतली जिला जयपुर हाल आबाद बानसूर तह0 बानसूर जिला अलवर काबिज जायदाद मु0 लक्ष्मी बेवाह घीसा
3. शिम्भू पुत्र भरथा जाति माली वासी सरूंड तह0. कोठपूतली
4. प्रेमदेवी पुत्री मंगल जाति माली वासी बानसूर तह0 बानसूर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. बनवारी पुत्र मंगल जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

6. राज0 सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार बानसूर

7. गुलाब चन्द पुत्र गणपतराम जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

8. बनवारी पुत्र रामचंदर जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

9. नत्थूराम पुत्र आशाराम जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

10. रूडमल पुत्र आशाराम जाति माली निवासी बानसूर

11. मदनलाल पुत्र आशाराम जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

12. अमरसिंह पुत्र आशाराम जाति माली निवासी बानसूर

13. रोहिताश्व पुत्र आशाराम जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बानसूर, दिनांक 29.4.2002

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिल कुमार गुप्ता

2. वकील असल रेस्पों0 :– श्री ब्रहमप्रकाश यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय   दिनांक 27.12.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 271/2001 उनवान रोहिताश्व बनाम मु0 बुद्धी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.4.2002 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2. प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी के खातेदार घीसा व मंगल निस्फ भाग के थे । मंगल के देहान्त के बाद उसकी बेवा मु0 गौरखी आराजी पर काबिज हुई तथा घीसा के मरने के बाद उसकी बेवा लक्ष्मी काबिज हुई । गोरखी ने वादी मंगल को गोद ले लिया था । प्रतिवादी बुद्धी ने कभी भी मंगल से घरवासा नहीं किया । उसका पति पुलिस विभाग में तैनात है और कोठपूतली का रहने वाला है । परन्तु उसने साजबाज होकर मंगल की विरासत बाला बाला दर्ज करा लिया, जो इन्तकाल बातिल व बेअसर करार दिये जाने योग्य है । इसी प्रकार विवादित आराजी के कुछ खेत के सम्पूर्ण रकबे पर घीसा ने तन्हा अपने नाम का इन्द्राज करा लिया, जो गलत है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटा का कथन है कि अपीलांट ने मुकदमे की पैरवी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने वकील को दे रखी थी, परन्तु सुनवाई के समय वकील तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, इसीलिये उनकी इकतरफा कर दी गई थी और इकतरफा होने के कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद है । उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवादित भूमि से वादी असल रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । उन्होंने आगे तर्क दिया कि मैं मंगल की ब्याहता हूं । उसके नुत्फे से मृतक लाली व तरतीबी रेस्पो0 5 व 6 उत्पन्न हुये हैं । मंगल के मरने के बाद उसका विरासत का इन्तकाल गोरखी व मिन अपीलांट की आपसी सहमति से दोनों ने अपने नाम दर्ज करवा लिया । इस इन्तकाल के दर्ज होने के बाद गोरखी ने आशाराम से घरवासा कर लिया । इसके बाद मंगल की भूमि हडपने की नियत से आशाराम के पुत्र को गोद ले लिया, जो आशाराम की पूर्व पत्नि से उत्पन्न हुआ था । मंगल के मरने के बाद उसके खाते में जमा रूप्यों के लिये गोरखी, बुद्धी, प्रेम, लाली के हक में श्रीमान जिला जज, अलवर द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिससे भी यह साबित है कि रोहिताश्व का मंगल से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है । यदि रोहिताश्व मंगल का दत्तक पुत्र होता तो गोरखी के साथ बतौर दत्तक पुत्र उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में दर्ज होता अथवा उक्त उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार दर्ज होता । गोरखी द्वारा आशाराम से घरवासा करने पर उसका मंगल की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहा ।गोरखी के मरने के बाद उसके एक मात्र वारिस साबित करने के लिये असल रेस्पो.0 रोहिताश्व द्वारा गोरखी का इन्तकाल विरासत तहत न्यायालय में पेश किया गया, जिस इन्तकाल विरासत पर विश्वास करके तहत न्यायालय ने उसे गोरखी का अकेला वारिस मानकर दावा डिक्री कर दिया, जो गलत है । मैं मंगल की ब्याहता हूं और कानूनन उसकी आराजी में हक बनता है । वादी असल रेस्पो0 उसका दत्तक पुत्र नहीं है, परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर दावा डिक्री कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि प्रतिवादी अपीलांट बुद्धी मंगल की ब्याहता नहीं है । उसका ससुराल कोटपूतली में है । उसका पति अभी जिन्दा है और पुलिस विभाग में कार्यरत हैं । कानूनन पहले पति से तलाक लेने के बाद ही दूसरा विवाह किया जा सकता है । मंगल की आराजी हडपने की नियत से बुद्धी ने फर्जी तथ्य पेश किये हैं । वास्तविकता यह है कि मैं गोरखी, जो कि मंगल की पत्नि थी, ने मुझे गोद लिया है और कानूनन दत्तक पुत्र का हक बनता है । तहत न्यायालय का निर्णय सही है । अपील मियाद बाहर पेश की गई है । विभिन्न न्यायालयों को दायर प्रकरणों से साबित है कि इनको पूर्व से प्रकरण की जानकारी थी । संतोषजनक कारण बताने पर ही देरी को कन्डोन किया जा सकता है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल के उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट के तर्कों पर विचार कर लिबरल व्यू अपनाया जाकर की गई देरी को कन्डोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

6. अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वह मंगल की ब्याहता है, जिला जज, अलवर ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत दिनांक 25.7.1985 को मु0 गोरखी बेवा मंगल, कुमारी प्रेम पुत्री मंगल, कुमारी लाली पुत्री मंगल के साथ साथ उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, इसलिये मंगल की आराजी में उसका हक निहित है । दूसरी तरफ असल रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांटा बुद्धी मंगल की ब्याहता नहीं है, उसका पूर्व पति अभी जीवित है, इसलिये विवादित भूमि में अपीलांटा बुद्धी का हक निहित नहीं है, मंगल का असल रेस्पो0 रोहिताश्व दत्तक पुत्र है, रजिस्टर्ड गोदनामा असल रेस्पो0 रोहिताश्व के पक्ष में निष्पादित हुआ है, इसलिये मंगल की आराजी में असल रेस्पो0 रोहिताश्व का ही हक निहित है । इस प्रकार इन दस्तावेजों के आधार पर दोनों ही पक्ष में अपना अपना हक जता रहे हैं । अपीलांट के पक्ष में जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, जो नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.4.02 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वांछित जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई दिनांक 31.1.17 को तहत न्यायालय में उपस्थित हों ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner